तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/4/20[illegible]	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान हाजिर। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण: की प्रार्थना-पत्र T.I. पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि ख.नं. 651/1078 रकबा 1.1255, ख.नं. 651/1080 रकबा 0.1265 व ख.नं. 651/1079 रकबा 1.6440 भूमि वाके ग्राम ललवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थिया उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि में अपने हक व हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य उपरोक्त प्रा.पत्र में वर्णित भूमि का विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है। जिसके कारण प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य आये दिन वाद-विवाद होते रहते हैं। विधिवत तकासमा नहीं होने के कारण प्रार्थिया की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी जबरन कब्जा करने व झगड़ा करने पर आमादा है। प्रार्थिया को उसके हक व हिस्से की भूमि में जोतने बोने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थिया की भूमि पर जबरन काश्त कर लेंगे खुर्द-बुर्द	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	कर देगे प्रार्थिया अपनी खातेदारी की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगी। प्रार्थिया को अपूरणीय शारीरिक मानसिक क्षति कारित होगी। जिसका किसी प्रकार से आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि संगत व न्यायसंगत है।	
	अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया ने असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित ख.नं. 651/1078, 651/1080 व 651/1079 वाके ग्राम लालवास तहसील निवाई की जमाबन्दी में 1/2 हक व हिस्सा अंकित है। मौके पर प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज काश्त है उभय पक्षकारान के मध्य जबानी बंटवारा हो रखा है। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार होने के कारण किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावें।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस उभयपक्षकारान को सम्पूर्ण मनोयोग से चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया। प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 दोनों ही रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन, व अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में प्रबल प्रतीत नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र T.I. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर नम्बर से कम हो जाकर शामिल मूलवाद हो।	